'' व्यवस्था की विशिष्टियां, नीति निर्धारण व कार्यान्वयन के संबंध में जनता या जन प्रतिनिधि से परामर्श के लिए बनाई गई व्यवस्था का विवरण ''

(सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4 (1) (बी) (vii) के अंतर्गत)

राज्य लोक सेवा अभिकरण के कार्यकरण एवं गतिविधियों का नियंत्रण दो निकाय (1) साधारण सभा (2) कार्यकारी परिषद द्वारा होता है। अभिकरण की साधारण सभा के अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश तथा विभिन्न विभागों के मंत्रीगण सदस्य है, जो कि आम नागरिकों का प्रतिनिधित्व करते हैं साथ ही साधारण सभा में मुख्यमंत्री महोदय द्वारा नामांकित 06 सदस्य होते है। इसी प्रकरण अभिकरण की कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष प्रमुख सचिव एवं पदेन महानिदेशक, राज्य लोक सेवा अभिकरण तथा विभिन्न विभागों के प्रमुख सचिवों या उसके प्रतिनिधि परिषद के सदस्य हैं। कार्यकारी परिषद में उपाध्यक्ष द्वारा नामांकित 02 सदस्य है। अभिकरण इन निकायों के सदस्यों के माध्यम से जनता से परामर्श प्राप्त करता है।